

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज)

न्यायालय

तारीख हुक्म

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही गय इनिशियल जज	नाम अदालत हुक्म में जारी
-------------	-------------------------------	-----------------------------------

5/5/21

पत्रावली पत्रा ६६। बकील आर्थिया उप। नहसीलदार नैनवां
की रिपोर्ट आ। आ. मि. डिगा। नहसीलदार नैनवां
की रिपोर्ट आ। अवलोकन किया गया पाया कि आर्थिया
द्वारा आ. पत्र में ग्राम टोपा से खानेदारी खपरा नम्बर
514/287 रकबा 2.4270 हेक्टर भूमि की पंथराही
करवाई जाने आ निवेदन किया था लेकिन नहसीलदार
नैनवां से आ. रिपोर्ट में पाया कि इस खपरा नम्बर
की नम्बरा सडा में रकबा खरारी करे पर रकबा पूर्व
ना होकर 1.7798 हेक्टर होगा है जो कि पत्रावली
के लगभग 0.6472 हेक्टर कम है। तथा मॉड से
क्षुमार सीमा जान करनी पर आंकी रकबा अन्य
खानेदार से पास कठपा करत है।

अतः आर्थिया आ सम्पूर्ण भूमि
पर कठपा नहीं होने से पंथराही किया जाना-यथावित्त
नहीं होने से आर्थिया करनी प्रानुत आर्थिया पर खारिज
किया जाना है। पत्रावली कैलल शुमा (सिकर नम्बर
से कम होकर दखिल उपर है।

गणेशिन्द्र प्रसाद उपाधी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां, जिला बून्दी (राज)

आर्थिया (पत्रावली) नैनवां, जिला बून्दी (राज)
के उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में
दिनांक 05/05/2021 को जारी किया गया है।
यह हुक्म आर्थिया के पत्रावली के अनुसार
नैनवां, जिला बून्दी (राज) के उपखण्ड
अधिकारी के कार्यालय में जारी किया गया है।